उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास निगम लिमिटेड

upsidc

13916 ml
11/10/17

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
ए 1/4 लखनपुर, कानपुर
पोस्ट बाक्स नं0- 1050
कानपुर 208024
दूरभाष 0512-2582851-53(PBX)
फैक्स नं0 (0512) 2580797
वेबसाइट www.upsidc.com

सन्दर्भ संख्या: 2592-95/एसआईडीसी/IA/Policy Vol1-17 दिनांक 09-10-17

—:कार्यालय आदेश:—

उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0 के औद्योगिक क्षेत्रों की सीमा के बाहर स्थित औद्योगिक इकाइय को निगम की अवस्थापना सुविधाओं का उपयोग अनुमन्य करने हेतु शुल्क—निर्धारण के सम्बन्ध मे निदेशक मण्डल की दिनांक 25.09.2017 को सम्पन्न हुयी 296वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नवत् आदेशित किया जाता है:—

1. **ऐसी इकाईयों हेतु शुल्क का निर्धारण जिन्हे अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु किसी भी अवस्थापना सुविधा के विस्तारीकरण की आवश्यकता नही हो :—**

उपरोक्त श्रेणी की इकाईयों का औद्योगिक क्षेत्र की अवस्थापना सुविधाओं के प्रयोग हेतु देय शुल्क निम्नवत् लिया जायेगा :—

(क) निगम की अवस्थापना सुविधाओं का उपयोग किये जाने हेतु एकमुश्त भुगतान के रूप में प्रश्नगत औद्योगिक क्षेत्र की तत्समय प्रीमियम दर के 25 प्रतिशत दर से सम्बन्धित औद्योगिक इकाई के कुल क्षेत्रफल हेतु देय शुल्क

तथा

(ख) प्रश्नगत औद्योगिक क्षेत्र हेतु निगम द्वारा सामान्यतः लिये जाने वाला वार्षिक अनुरक्षण शुल्क जिसका भुगतान प्रत्येक वर्ष दिनांक 01 जुलाई को सम्बन्धित इकाई द्वारा निगम के नियमानुसार करना होगा।

2. **ऐसी इकाईयों हेतु शुल्क का निर्धारण जिन्हें अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विस्तारीकरण की आवश्यकता हो :—**

इस श्रेणी की इकाईयों को औद्योगिक क्षेत्र की अवस्थापना सुविधाओं के प्रयोग हेतु देय शुल्क निम्नवत् होगा :—

(i) बिन्दु सं0—1 के अनुसार देय शुल्क प्रतिवर्ग मी0।

(ii) आवेदक इकाई/इकाईयों हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विस्तारीकरण में आने वाले सम्पूर्ण व्यय का भी पूर्ण/अनुपातिक भुगतान उक्त सुविधा प्रदान करने से पूर्व प्राप्त किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार शुल्क का भुगतान प्राप्त कर औ0क्षे0 की सीमा के बाहर स्थित इकाई को भी निगम की अवस्थापना सुविधाओं का उपयोग किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाएगी:—

1. इच्छुक इकाईयों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जायेगा जिसके लिये प्रक्रिया शुल्क रू0 10,000 देय होगा।
2. निगम द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने पर निर्धारित समय के अन्तर्गत शुल्क जमा किया जायेगा।
3. इकाई एवं निगम के मध्य एक अनुबन्ध पंजीकृत किया जायेगा जिसमें उपरोक्तानुसार देय शुल्क का समय से भुगतान करने की शर्तें उल्लिखित होंगी।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 2592-95/एसआईडीसी–आईए–पालिसी वाल्यूम–17 दि0 09-10-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0,
3. कम्प्यूटर अनुभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेशों को तत्काल निगम की वेब साईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0 लि0, मुख्यालय, कानपुर।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक